न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 50 / 2009 (RCMS No. 2009/00063)

प्रार्थीगण

1. गिरधारीराम पुत्र मेघाराम जाति रेबारी निवासी सवाईपुरा फौत के कायम मुकाम :–
   1/1– बहादुरराम पुत्र गिरधारीराम
   1/2– बीरमाराम पुत्र गिरधारीराम
   1/3– शिवजीराम पुत्र गिरधारीराम
   1/4– भागचन्द पुत्र गिरधारीराम
   1/5– सुखाराम पुत्र गिरधारीराम
   1/6– हस्तुदेवी पत्नि गिरधारीराम
   1/7– मोहनीदेवी पुत्री गिरधारीराम
   1/8– सीतादेवी पुत्री गिरधारीराम जाति रेबारी निवासी सवाईपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

1. भोपालराम पुत्र कानाराम रेबारी
2. सुगनाराम पुत्र कानाराम रेबारी
3. मंशीराम पुत्र कानाराम रेबारी
4. हरलाल पुत्र कानाराम रेबारी
5. भंवरी बेवा कालूराम रेबारी
6. नाथूराम पुत्र मेघाराम रेबारी
7. मोतीराम पुत्र मेघाराम रेबारी सभी जाति रेबारी निवासियान सवाईपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
8. मैनेजर जयपुर थार ग्रामीण बैंक मीठड़ी तहसील नावां
9. उप पंजीयक कुचामनसिटी
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी नावां

प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा.212 राज.काश्त. अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं.1 से 6 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 27.9.2019

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:11:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि उपर्युक्त उनवान का राजस्व वाद मजबूत बिनाय पर आधारित अदालत हा[illegible]रतजबीज है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की सम्भावना है, [illegible] में कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 232 रकबा 61 बीघा 09 बिस्वा अलावा [illegible] की भूमि गत खसरा नम्बर 241/1 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि अवस्थित रही है जिसके नये खसरा नम्बर [illegible] रकबा 1.54 हैक्टर खसरा नम्बर 683 रकबा 7.26 हैक्टर एवं गत खसरा नम्बर 241/1 के नवीन खसरा नम्बर 748 रकबा 1.34 हैक्टर नवीन ग्राम सवाईपुरा की सरहद में नवीन भू–प्रबन्ध अधिकारीगण द्वारा अंकित किया गया है, उपर्युक्त भूमि में 36 बीघा भूमि के प्रार्थीगण के

.....2....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

दादा–पड़दादा पनाराम जी के कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि रही है तथा शेष भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के पूर्वजो की रही है, मौके पर पनारामजी के कब्जा काश्त में शुरू से ही खसरा नम्बर 232 में पश्चिमी तरफ की 36 बीघा भूमि रही है जिसके स्वर्गवास उपरान्त उनके पुत्र मेघाराम की बहैसियत उत्तराधिकार काबिज रहे तथा मेघाराम का स्वर्गवास होने से उनके पुत्रो पूसाराम, गिरधारीराम व मोतीराम के नाबालिक अवस्था में हो गया इसलिए उक्त भूमि सीधे तौर पर पनाराम के स्वर्गवासापरान्त उनके तीन पौत्र पूसाराम गिरधारी मोतीराम के नाम 36 बीघा भूमि की खातेदारी दर्ज होकर वे बतौर खातेदार काबिज रहे है व खसरा नम्बर 241/1 की भूमि के तीनो भाई बतौर उत्तराधिकारी काबिज खातेदार रहे, चूँकि पूसाराम जो प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी सं. 7 मोतीराम के बड़े भाई का स्वर्गवास निसंतान अवस्था में ही हो चुका था, इसलिए पनारामजी की उपरोक्त भूमि प्रार्थी 1 व अप्रार्थी 7 मोतीराम बहिस्सा बराबर के बतौर खातेदार व काबिज रहे है, उपर्यक्त भूमि बाबत प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 7 मोतीराम द्वारा अपनी पैतृक भूमि बाबत किसी प्रकार का विक्रय बेचान इत्यादि किसी भी व्यक्ति को नही किया गया है गत खसरा नम्बर 673 684 में 36 बीघा सम्पूर्ण व नवीन खसरा नम्बर 748 की सम्पूर्ण भूमि के प्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 7 को इस भूमि 36 बीघा पर किसी भी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 का कभी कब्जा काश्त नही रहा है,उक्त भूमि प्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 7 स्वर्गीय पनाराम के पौत्र रहे है तथा प्रार्थीगण 2 ता 6 प्रार्थी सं. 1 क पुत्र है जो स्वर्गीय मेघाराम के पोत्र व स्व. पनाराम के पौत्र है जिन्हे अपने पूर्वजो की इस भूमि पर जन्म से हक व अधिकार स्वतः प्राप्त है, प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 7 के बीच भी कोई विभाजन नही हुआ है सम्मिलित खातेदारी हक हकूक की है खसरा नम्बर 676 व 683 की भूमि एक ही चक मे थी लेकिन नाला इत्यादि बनने से अलग–अलग नम्बर नवीन भू–प्रबन्ध में कायम हुए है प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 ता 6 के बीच भी विधिवत विभाजन नही हुआ है मौके पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 की 3.54 हैक्टर भूमि पूर्वी तरफ की है, खतौनी नक्शा देखने पर ज्ञात हुआ है कि उपरोक्त भूमि नवीन खसरा नम्बर 676, 683 में 36 बीघा भूमि से कम 5.16 हैक्टर भूमि दर्ज है और इसमे भी प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी सं. 7 के नाम 1/2 हिस्सा का व अप्रार्थी भोपालराम मुंशीराम के नाम 1/2 हिस्सा का अंकन खाते में दर्ज किया गया है जबकि प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी सं. 7 द्वारा किसी प्रकार का बेचाननाम इत्यादि इनके हक में नही किया गया है, अप्रार्थी भोपालराम मुंशीराम ने धोखाधड़ी पूर्वक तरीके से या फर्जी कार्यवाही के आधार पर भू–प्रबन्ध अधिकारियो से सांठ गांठ कर प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी सं. 7 मोतीराम से 36 बीघा सम्पूर्ण के बजाय 1/2 हिस्सा ही खातेदारी में अंकित है जो सरासर गलत व अवैध है तथा प्रार्थीगण के जायज अधिकारो पर कतई प्रभावी नही हो सकता तथा इस 1/2 हिस्सा का इन्द्राज स्वतः अवैध व शून्य है, प्रार्थीगण को उपरोक्त अवैध अंकन की जानकारी होने पर अप्रार्थीगण को खाता दुरुस्ती व विधिवत बंटवारा दर्ज कराने बाबत कहते रहे तथा अप्रार्थीगण इत[illegible] लेकिन अभी कुछ रोज से अप्रार्थी सं. 1 ता 6 द्वारा धमकी [illegible] कि खाता दुरूस्ती व बंटवारा तो दूर रहा मौके कब्जा से भी प्रार्थीगण को इस [illegible] बरसात होते ही जबरन बेदखल कर दिया जावेगा, नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही में उपरोक्त गत खसरा नम्बर 232 की भूमि का 61 बीघा 4 बिस्वा के बजाय 8.80 हैक्टर (भूमि जो करीबन54 बीघा बनती है) का रकबा क्षेत्रफल कम कर दिया गया जबकि भू–प्रबन्ध अधिकारियो को पूर्व से चले आ रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:11:19 IST
Reason: SelfAttested

....3....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अभिलेख इन्द्राज हक–हिस्सा को कम खातेदारी करने का अधिकार नही रहा था, जबकि मौके पर गत खसरा नम्बर 232 की सीमा पूर्व–पश्चिम, उत्तर दक्षिण की पूर्व माफिक यथावत है तथा मौके का रकबा भी 61 बीघा 9 बिस्वा है, प्रार्थीगण गत खसरा नम्बर 232 के नवीन खसरा नम्बर 676, 683 का रकबा 61 बीघा 9 बिस्वा में 36 बीघा का 5.83 हैक्टर रकबा प्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 7 के नाम अंकित करवाकर 5.83 हैक्टर में 1/2 हिस्सा का प्रार्थीगण 1 ता 6 व 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं. 7 के नाम दर्ज कराकर इसी हक हकूक अनुसार प्रार्थीगण 5.83 हैक्टर में 1/2स हिस्सा का 12.92 हैक्टर भूमि का विधिवत भू–विभाजन कराने के प्रार्थीगण पूर्ण हकदार है, प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है अगर अप्रार्थी सं. 1 ता 7 विवादग्रस्त भूमि के बाबत किसी प्रकार का बेचान, बख्शीश, रहननामा या अन्य किसी प्रकार से हस्तानान्तरण सम्बन्धित दस्तावेज निष्पादित करने व पंजियन कराने में सफल हो गये एवं प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखल करने में कामयाब हो गए तो अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को होगी, प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम सवाईपुरा की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 676, 683 कुल रकबा 8.80 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्स की प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व अधिकारो में अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा अप्रार्थी सं. 1 ता 7 उक्त खसरा नमबर में किसी भू–भाग का विधिवत विभाजन हुए बिना तथा स्पेसीफाई पोरसन दर्शाते हुए किसी प्रकार का हस्तानान्तरण पत्र निष्पादित नही करे तथा न ही पंजियन करावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 द्वारा हस्तानान्तरण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी सं. 9 पंजीयन नही करे तथा अप्रार्थी सं. 9 व 10 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी फरमाकर पाबंद फरमावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 6 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होकर शामिल मिसल उपलब्ध हुआ, अप्रार्थी सं. 7 से 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल खसरा मिलान की छाया प्रति, नकल खतौनी सम्वत 2023–26, 2047–2050, 2063–2066 की छाया प्रति, नक्शा ट्रेस की छाया प्रति, नकल पर्चा लगान भू प्रबन्ध की छाया प्रति,नकल पुराना पर्चा लगान की छाया प्रति, अप्रार्थी की ओर से बेचान दस्तावेज 05.10.1979 की छाया प्रति, पासबुक की छाया प्रति, जमाबंदी नकल सम्वत 2063–66 की छाया प्रति, जमाबंदी नकल सम्वत 2046–65, 2047–50 इत्यादि प्रस्तुत की है।

जवाब प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी सं. 1 से 6 ने प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 676 686 की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी 1 ता 7 की सम्मिलित खातेदारी व कब्जा काश्त स्वामित्व की है, उपरोक्त भूमि में 3.64 हैक्टर भूमि अप्रार्थीगण 1 ता 6 की खातेदारी व कब्जा काश्त स्वामित्व की है और [illegible] भूमि 5.16 हक्टर प्रार्थी गिरधारी एवं प्रतिवादी सं. 7 मोतीराम की खा[illegible] की थी जिसमे से 1/2 हिस्सा भूमि प्रार्थी नं. 1 व अप्रार्थी सं. 7 द्वारा अप्रार्थी भोपालराम व अप्रार्थी सं. 3 मंशीराम के पक्ष में विक्रय वर्ष 1979 में कर पंजियन करवाने से वर्तमान में उपरोक्त रकबा 5.16 हैक्टर में 1/2 हिस्सा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 7 का व 1/2 हिस्सा अप्रार्थी भोपालराम व मंशीराम का होने से इनके खातेदारी व कब्जा काश्त स्वामित्व की है जिसका विधिवत बंटवारा नही हुआ है और शामलाती खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो काबिल खारिज है।

....4.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:11:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, जिन्होने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया है। उपलब्ध रेकार्ड जमाबन्दी इत्यादि का अवलोकन किया गया, गत पर्चा लगान मे खसरा नम्बर 232 रकबा 61 बीघा 9 बिस्वा पनो बेटो अरजन 36 बीघा व अन्य खातेदार का नाम दर्ज है तथा दूसरे गत पर्चा लगान में पना वल्द अरजन कौम रेबारी सा. देह खातेदार खसरा नम्बर 241/1 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा दर्ज है, मिलान क्षेत्रफल अनुसार ग्राम सवाईपुरा के गत खसरा नम्बर 232 के नये खसरा नम्बर 676, 683 बने है तथा गत खसरा नम्बर 241/1 से नये खसरा नम्बर 748 बने है, मिसल बंदोबस्त नकल सम्वत 2046–2065 ग्राम सवाईपुरा के खसरा नम्बर ६७६ रकबा १.५४ खसरा नम्बर ६८३ रकबा ७.२६ कुल रकबा ८.८० हैक्टर में कानाराम पुत्र भेरा 3.64 हैक्टर गिरधारी मोती पि. मेघा 1/2 भोपालराम मुन्सीराम पि. काना 1/2 रकबा 5.16 हैक्टर जाति रेबारी सा. देह खातेदार दर्ज है, जमाबन्दी नकल 2047–50, 2051–2054, 2055–2058 में भी उक्त अनुसार इन्द्राज है, नकल खतौनी सम्वत 2063–2066 में भंवरी बेवा कालूराम नाथू पुत्र कालूराम भोपालराम सुगनाराम मंशीराम हरलाल पि. कानाराम जेतूदेवी पत्नि कानाराम 3.64 हैक्टर गिरधारी मोती पि. मेघा 1/2 भोपालराम मुन्शीराम पि. काना 1/2 रकबा 5.16 हैक्टर जाति रेबारी सा. देह खातेदार दर्ज है, खसरा नम्बर 748 रकबा 1.34 हैक्टर में गिरधारी मोती पि. मेघा जाति रेबारी सा. देह खातेदार दर्ज है, बेचान दस्तावेज दिनॉक 05.10.1979 अनुसार गिरधारी पुत्र मेघा रेबारी निवासी हरियाजून (सवाईपुरा) एवं छोटा भाई मोती का हिस्सा खसर नम्बर 232 रकबा 61 बीघा 9बिस्वा में स्थित 36 बीघा में से 18 बीघा का बेचान भोपालराम मुन्शी पुत्र कानाराम रेबारी निवासी हरियाजून सवाईपुरा को अक्षरे तीन हजार रूपये प्राप्त कर बेचान करना उप पजीयक नावां के यहॉ पंजिबद्व करवाया गया है। आंशिक जमाबंदी सम्वत 2035–2038 में जरिये नामा. सं. 163 अनुसार भोपालराम मुन्शीराम पि. काना १८ बीघा की खातेदारी स्वीकार हुई। प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित किया है कि उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि का कभी किसी का बेचान नही किया गया है जबकि प्रार्थी गिरधारी द्वारा दिनॉक 05.10.1979 उप पंजीयक कार्यालय नावां में उपस्थित होकर अप्रार्थी भोपालराम मंशीराम को 18 बीघा का बेचान किया गया है साथ ही भू–प्रबन्ध अधिकारियो पर भी आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा गलत रूप से अप्रार्थीगण के खातेदारी दर्ज की गई है, इस प्रकार के गलत तथ्य प्रार्थीगण द्वारा अंकित कर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही अप्रार्थीगण को बेवजह परेशान करने की नीयत से वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही है, चूॅकि प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त भूमि में से 18 बीघा का बेचान 05.10.1979 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान उप पंजीयक कार्यालय नावां में भोपालराम मंशीराम के पक्ष में पंजिबद्व करा दिया गया था, इस प्रकार प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का कतई [illegible] योग्य नही होने से खारिज काबिल है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:11:19 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 27/8/18 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)